न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 63/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. पिन्टु चौहान पुत्र स्व थानाराम जाति माली निवासी बेरा नवोडा सरदारपुरा तह0 सोजत जिला पाली।		1 इन्द्रा देवी पत्नि थानाराम 2 विनोद पुत्र स्व थानाराम जातिगण माली निवासीगण सरदारपुरा तह0 सोजत जिला पाली। 3 रिंकु पत्नि लक्ष्मणराम जाति माली निवासी बेरा कुण्डलिया सोजत सिटी 4 लता पत्नि गोविन्दराम जाति माली निवासी बेरा मगरिया सोजत सिटी 5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. श्री रोहित माथुर अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित

दिनांक — 27/06/2024

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि वादी का वंशवृक्ष अनुसार रतनाराम मूल पुरूष के पुत्र थानाराम हुये। थानाराम के वारिशान इन्द्रादेवी, विनोद, पिंटु, रिंकु एवं लता हुये। रतनाराम की मृत्यु सन् 1980 एवं थानाराम की मृत्यु दिनांक 05.04.2021 को हो चुकी हैं। सरहद मौजा सरदारपुरा तह0 सोजत में ख0नं0 271 रकबा 0.7600 है0 की आयी हुई स्थित हैं। वादस्थ कृषि भूमि के पुराने खसरा नंबर 229/1 थे। जो मदनसिंह, देवीसिंह, मूलसिंह पिसरान गुमानसिंह नाबालिग वली उमम कंवर जोजे गुमान सिंह के नाम से दर्ज थी। वादी के दादा रतनाराम वल्द लच्छाराम व पिता थानाराम वल्द रतनाराम जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 09.02.1974 को वादस्थ भूमि क्रय की। किन्तु नामा0 दर्ज करते समय वादी के पिता का नाम थाना वल्द रतना के स्थान पर थाना वल्द लच्छा लिख दिया गया। जिसे वादी पुनः दुरूस्त करवा कर वादस्थ कृषि भूमि ख.नं. 271 रकबा 0.76 है0 में थानाराम पुत्र लच्छाराम के स्थान पर थानाराम पुत्र रतनाराम इन्द्राज करवाना चाहता हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद विरूद्ध पेश कर सरहद मौजा सरदारपुरा ख.नं. 271 रकबा 0.76 है0 की कृषि भूमि में दर्ज अपने पिता की वल्दियत थानाराम पुत्र लच्छाराम के स्थान पर थानाराम पुत्र रतनाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईशदुआ की हैं। प्रतिवादीगण सं0 01 से 04 ने ईकबालिया जवाब व काउण्टर वाद पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सरदारपुरा ख.नं. 271 रकबा 0.76 है0 की कृषि भूमि में

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

थानाराम पुत्र लच्छाराम के स्थान पर थानाराम पुत्र रतनाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के साथ ही प्रतिवादी सं0 01 से 04 का भी 1/5 –1/5 हक हिस्सा घोषित किया जावें। प्रस्तुत दावा एवं जवाब दावा के आधार पर निम्नांकित तनकियात कायम की गई–

1. आया वादस्थ भूमि सरहद मौजा सरदारपुरा के ख.नं. 271 रकबा 0.76 है0 भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता थानाराम पुत्र लच्छाराम गलत इन्द्राज के स्थान पर वादी थानाराम पुत्र रतनाराम दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं। जिम्मे वादी

2. आया वादी वादस्थ भूमि में 1/5 हक हिस्सा हक हकूक की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। जिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादी सं0 01 से 04 वादस्थ भूमि में 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। जिम्मे प्रतिवादी

4. अनुतोष।

अधिवक्ता वादी ने शहादत वादी में वादी स्वयं पिन्टु चौहान के बयान कलमबद्ध किये गये एवं दस्तावेज प्रदर्शित करवाये जिसमें खसरा मिलान प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत् 2027–30 प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत् 2042–45 प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत् 2074–77 प्रदर्श–4 एवं बेचान रजिस्ट्री दिनांक 09.02.1974 प्रदर्श–5 व उसकी छायाप्रति प्रदर्श– 5ए

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा सरदारपुरा सोजत में ख0नं0 271 रकबा 0.7600 है0 की आयी हुई स्थित हैं। वादस्थ कृषि भूमि के पुराने खसरा नंबर 229/1 थे। जो मदनसिंह, देवीसिंह, मूलसिंह पिसरान गुमानसिंह नाबालिग वली उगम कंवर जोजे गुमान सिंह के नाम से दर्ज थी। वादी के दादा रतनाराम वल्द लच्छाराम व पिता थानाराम वल्द रतनाराम जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 09.02.1974 को वादस्थ भूमि क्रय की। किन्तु नामा0 दर्ज करते समय वादी के पिता का नाम थाना वल्द रतना के स्थान पर थाना वल्द लच्छा लिख दिया गया। जिसे वादी पुनः दुरूस्त करवा कर वादस्थ कृषि भूमि ख.नं. 271 रकबा 0.76 है0 में थानाराम पुत्र लच्छाराम के स्थान पर थानाराम पुत्र रतनाराम इन्द्राज करवाना चाहता हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद विरूद्ध पेश कर सरहद मौजा सरदारपुरा ख.नं. 271 रकबा 0.76 है0 की कृषि भूमि में दर्ज अपने पिता की वल्दियत थानाराम पुत्र लच्छाराम के स्थान पर थानाराम पुत्र रतनाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया कि सरहद मौजा सरदारपुरा ख.नं. 271 रकबा 0.76 है0 की कृषि भूमि में थानाराम पुत्र लच्छाराम के स्थान पर थानाराम पुत्र रतनाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के साथ ही प्रतिवादी सं0 01 से 04 का भी 1/5 –1/5 हक हिस्सा घोषित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण में कायम की गई तनकियात का निम्नानुसार विवेचन किया जाता है-

1. आया वादस्थ भूमि सरहद मौजा सरदारपुरा के खसरा नं 271 रकबा 0.76 है0 भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता थानाराम पुत्र लच्छाराम गलत इन्द्राज के स्थान पर वादी थानाराम पुत्र रतनाराम दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं।

वादी द्वारा शहादत वादी में बेचान रजिस्ट्री दिनांक 15.02.1974 प्रदर्श-5 पेश की है। उक्त बेचान रजिस्ट्री में लिखित अनुसार वादस्थ भूमि का बेचान रतनारामजी वल्द लच्छाजी व थानाराम वल्द रतनारामजी के नाम से क्रय की गई हैं। उक्त बेचान दस्तावेजात के आधार पर खसरा नंबर 271 की जमाबंदी सम्वत् 2042-45 प्रदर्श-3 में थानाराम वल्द लच्छाराम व थानाराम वल्द रतनाराम इन्द्राज कर दिया जबकि बेचान रजिस्ट्री अनुसार रतनाराम वल्द लच्छाराम व थानाराम वल्द रतनाराम के नाम से बेचान की गई थी। जिससे यह स्पष्ट है कि माफिक बेचान रजिस्ट्री के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया गया। जिससे तनकी संख्या 01 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

आया वादी वादस्थ भूमि में 1/5 हक हिस्सा हक हकूक की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी हैं।

वादी के वादपत्र में बताये गये वंशवृक्ष अनुसार रतनाराम व थानाराम दोनों का ही देहान्त हो चुका हैं। थानाराम के फौत होने के पश्चात् कुल 5 विधिक वारिशान क्रमशः इन्द्रादेवी पत्नी, विनोद पुत्र, पिन्टु पुत्र, रिंकु पुत्री व लता पुत्री हुये। जिनसे प्रत्येक का वादस्थ भूमि में 1/5 हिस्सा बनता हैं। जिससे तनकी सं0 02 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

3. आया प्रतिवादी सं0 01 से 04 वादस्थ भूमि में 1/5-1/5 हिस्सा खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

तनकी सं0 02 में विस्तृत विवेचना की जा चुकी हैं। प्रतिवादी सं0 1 से 4 भी फौत थानाराम के विधिक वारिश होने से वादस्थ भूमि में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निहित होने से तनकी सं0 03 बहक प्रतिवादी सं0 01 से 04 विरूद्ध वादी तय की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादस्थ भूमि खसरा नं0 271 वादीगण के दादा व पिता द्वारा वर्ष 1974 में क्रय की गई थी। जिसमें रतनाराम वल्द लच्छाराम व थानाराम वल्द रतनाराम द्वारा उक्त जमीन को क्रय किया गया था। किन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में इन्द्राज करते वक्त थानाराम वल्द लच्छाराम, थानाराम वल्द रतनाराम इन्द्राज कर दिया गया। जो कि अशुद्ध प्रवृष्टि होने से माफिक बेचान रजिस्ट्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने एवं थानाराम व रतनाराम वर्तमान में फौत हो जाने से उनके विधिक वारिशान वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 से 04 प्रत्येक को 1/5-1/5 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सरदारपुरा तह0 सोजत में ख0नं0 271 रकबा 0.7600 है0 की भूमि में वादी के पिता की वल्दियत थानाराम पुत्र लच्छाराम के स्थान पर थानाराम पुत्र रतनाराम नाम से रेकर्ड दुरूस्त किया जाता हैं। तथा वादग्रस्थ भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 से 05 प्रत्येक का 1/5-1/5 हक हिस्सा घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 27/06/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत